Central Goods & Services Tax Act, 2017

CHAPTER - XIX OFFENCES AND PENALTIES

Section 122: Penalty for certain offences

- (1) Where a taxable person who—
 - (i) supplies any goods or services or both without issue of any invoice or issues an incorrect or false invoice with regard to any such supply;
 - (ii) issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder:
 - (iii) collects any amount as tax but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;
 - (iv) collects any tax in contravention of the provisions of this Act but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;
 - (v) fails to deduct the tax in accordance with the provisions of subsection (1) of section 51, or deducts an amount which is less than the amount required to be deducted under the said sub-section, or where he fails to pay to the Government under sub-section (2) thereof, the amount deducted as tax;
 - (vi) fails to collect tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 52, or collects an amount which is less than the amount required to be collected under the said sub-section or where he fails to pay to the Government the amount collected as tax under sub-section (3) of section 52;
 - **(vii)** takes or utilises input tax credit without actual receipt of goods or services or both either fully or partially, in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder;
 - (viii) fraudulently obtains refund of tax under this Act;
 - (ix) takes or distributes input tax credit in contravention of section 20, or the rules made thereunder;
 - (x) falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax due under this Act;
 - (xi) is liable to be registered under this Act but fails to obtain registration;
 - (xii) furnishes any false information with regard to registration particulars, either at the time of applying for registration, or subsequently;
 - (xiii) obstructs or prevents any officer in discharge of his duties under this Act;
 - (xiv) transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified in this behalf;

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (xv) suppresses his turnover leading to evasion of tax under this Act;
- (xvi) fails to keep, maintain or retain books of account and other documents in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;
- (xvii) fails to furnish information or documents called for by an officer in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder or furnishes false information or documents during any proceedings under this Act;
- (xviii) supplies, transports or stores any goods which he has reasons to believe are liable to confiscation under this Act;
- (xix) issues any invoice or document by using the registration number of another registered person;
- (xx) tampers with, or destroys any material evidence or document;
- (xxi) disposes off or tampers with any goods that have been detained, seized, or attached under this Act,

he shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees or an amount equivalent to the tax evaded or the tax not deducted under section 51 or short deducted or deducted but not paid to the Government or tax not collected under section 52 or short collected or collected but not paid to the Government or input tax credit availed of or passed on or distributed irregularly, or the refund claimed fraudulently, whichever is higher.

- ¹[(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.]
- ²[(1B) Any electronic commerce operator who-
 - (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
 - (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
 - (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.]

Sub-section (1A) inserted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020.

² Sub-section (1B) inserted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (2) Any registered person who supplies any goods or services or both on which any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilised,
 - (a) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty of ten thousand rupees or ten per cent. of the tax due from such person, whichever is higher;
 - **(b)** for reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty equal to ten thousand rupees or the tax due from such person, whichever is higher.
- (3) Any person who—
 - (a) aids or abets any of the offences specified in clauses (i) to (xxi) of subsection (1);
 - (b) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, or purchasing or in any other manner deals with any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made thereunder;
 - (c) receives or is in any way concerned with the supply of, or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;
 - (d) fails to appear before the officer of central tax, when issued with a summon for appearance to give evidence or produce a document in an inquiry;
 - **(e)** fails to issue invoice in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder or fails to account for an invoice in his books of account,

shall be liable to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees.

अध्याय 19 अपराध और शास्तियां

धारा 122: कतिपय अपराधों के लिए शास्ति

- (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति जो-
 - (i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है या ऐसी किसी पूर्ति के लिए गलत या मिथ्या बीजक जारी करता है;
 - (ii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के बिना बीजक या बिल जारी करता है;
 - (iii) कर के रूप में रकम का संग्रहण कर उसका सरकार को उस तारीख से जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है, तीन मास से परे संदाय करने में असफल रहता है:
 - (iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी कर का संग्रहण करत है किन्तु उस तारीख से, जिसको उसका संदाय शोध्य हो जाता है, तीन मास से परे की अविध में संदाय करने में असफल रहता है;
 - (v) धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस प्रकार कर के रूप में कटौती की गई रकम का संदाय करने में असफल रहता है;
 - (vi) धारा 52 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर के संग्रहण में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन संग्रहण की अपेक्षित रकम से कम रकम का संग्रहण करता है या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन सरकार को इस प्रकार कर के रूप में संगृहीत रकम का संदाय करने में असफल रहता है;
 - (vii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है;
 - (viii) इस अधिनियम के अधीन कपटपूर्ण तरीके से कर का प्रतिदाय प्राप्त करता है;
 - (ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है;
 - (x) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर का अपवंचन करने के आशय से वित्तीय अभिलेखों को झुठलाता है या बदलता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों को या किसी झूठी सूचना या विवरणी को प्रस्तुत करता है;
 - (xi) इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है
 - (xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों के संबंध में गलत सूचना देता है;
 - (xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को बाधित करता है या रोकता है;
 - (xiv) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के कवर के बिना किन्हीं कराधेय मालों का परिवहन करता है;
 - (xv) अपने आवर्त को छिपाता है जिसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन होता है;

- (xvi) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों को तैयार करने, बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असफल रहता है:
- (xvii) इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता हैं;
- (xviii) ऐसे किसी माल की पूर्ति, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं:
- (xix) किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग करके किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है;
- (xx) किसी सारवान साक्ष्य या दस्तावेज से छेडछाड करता है या उसे नष्ट करता है;
- (xxi) किसी ऐसे माल का व्ययन करता है या उससे छेड़छाड़ करता है जिसे इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध, जब्त या कुर्क किया गया है,

तो वह दस हजार रुपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संगृहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या आगे किसी को दिए गए या कपटपूर्ण ढंग से दावा किए गए प्रतिदाय, इनमें जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

¹[(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा।]

²[(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो-

- (i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसी पूर्ति करने के लिये अनुज्ञात करता है;
- (ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिये पात्र नहीं है; या
- (iii) इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है.

धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, तो दस हजार रूपये या अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो भी उच्चतर हो।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है, जिन

¹ वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा उपधारा (1क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

² वित्त अधिनियम, २०२३ द्वारा उपधारा (१ख) अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से उसका प्रतिदाय लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या प्रयोग किया है,—

- (क) कपट के कारण से भिन्न किसी कारण से या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर का दस प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा;
- (ख) कपट के उद्देश्य से या किए गए किसी मिथ्या के कारण से या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को जानबूझकर छिपाता है तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर का दस प्रतिशत् की शास्ति के लिए, जो भी उच्चतर हो, दायी होगा।
- (3) कोई व्यक्ति जो-
 - (क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;
 - (ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन, उसे हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, उनकी पूर्ति करने या विक्रय करने में या किसी अन्य रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में वह यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं:
 - (ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या उसकी पूर्ति से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा की कोई पूर्ति करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;
 - (घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु समन के जारी होने पर केन्द्रीय कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;
 - (ड.) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा बहियों में बीजक के लिए हिसाब देने में असमर्थ रहता है.

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।